दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 16.05.2026

अव.वा.(आप.) 3/2025 व आप.वि.आ. 2184/2026
आप.वि.आ. 9152/2026, आप.वि.आ. 15810/2026
अव.वा.(आप.) 4/2025

CONT.CAS.(CRL) 3/2025 & CRL.M.A. 2184/2026,
CRL.M.A. 9152/2026, CRL.M.A. 15810/2026
CONT.CAS.(CRL) 4/2025

न्यायालय अपने समावेदन पर .... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री हर्ष प्रभाकर, अधिवक्ता (न्यायमित्र) सह श्री ध्रुव चौधरी, श्री शुभम सौरव एवं श्री विजित सिंह, अधिवक्तागण
श्री विवेक कुमार टंडन, अधिवक्ता (डीएचसीएलएससी) सह सुश्री लक्ष्मी गुप्ता, अधिवक्ता

बनाम

शिव नारायण शर्मा, अधिवक्ता व अन्य
दीपक सिंह, अधिवक्ता व अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री गुलशन पाहुजा, प्रत्यर्थी-2 सदेह।
श्री अमन उस्मान, अति.लो.अभि सह श्री मानवेन्द्र यादव, राज्य हेतु अधिवक्ता

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री नवीन चावला
माननीय न्यायमूर्ति श्री रविंद्र डुडेजा

<u>नवीन चावला, न्या. (मौखिक)</u>

1. हमने, अपने निर्णय दिनांक 21.04.2026 द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 2/श्री गुलशन पाहुजा (एतद्पश्चात 'अवमानकर्ता' से संबोधित) को न्यायालय की आपराधिक अवमानना करने का दोषी पाया था, जैसा कि न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(ग) में परिभाषित है (एतद्पश्चात 'अधिनियम' से संबोधित), और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दिए जाने वाले दंड पर अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था। तदनुसार, हमने उन्हें न्यायालय अवमानना (दिल्ली उच्च न्यायालय) नियम, 2025 के नियम 13(1) के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें यह स्वतंत्रता दी गई कि वे दो सप्ताह की अवधि के भीतर दंड के संबंध में अपनी प्रस्तुतियाँ दायर कर सकें।

2. उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आप.वि.आ. 15810/2026 के रूप में एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने हमारे दिनांक 21.04.2026 के उस निर्णय/आदेश, जिसके द्वारा उन्हें न्यायालय की आपराधिक अवमानना कारित करने का दोषी ठहराया गया था, को वापस लेने एवं अपास्त करने की प्रार्थना की है। उन्होंने यह भी अभिव्यक्त किया है कि

उनका दोषसिद्धि विधिक दृष्टि से दुष्प्रभावित है तथा यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 20(3) एवं 21 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अंतर्गत संरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने '*दंड की मात्रा पर बहस हेतु लिखित प्रस्तुति*' शीर्षक से लिखित प्रस्तुतियां भी दायर की हैं।

3. हमने उन्हें मौखिक प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया है।

4. श्री पाहुजा, अवमानकर्ता, यह प्रस्तुत करते हैं कि हमारा दिनांक 21.04.2026 का निर्णय प्रक्रिया संबंधी अनियमितता से ग्रसित है क्योंकि उन्हें दोषी ठहराते समय पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। वे यह भी कहते हैं कि जिन वाद पत्रों पर उन्होंने संबंधित वीडियो में टिप्पणियाँ की थीं, उन्हें विचारण न्यायालय से मंगवाया नहीं गया और न ही उन न्यायिक अधिकारियों को, जिनका उल्लेख उक्त वीडियो में किया गया था, साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनका कथन है कि उन्हें उन अधिकारियों से प्रतिपरीक्षण करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वे आगे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि उनके उत्तर के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों का इस न्यायपीठ द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अवलोकन नहीं किया गया। उनका यह भी निवेदन है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उन्हें न्यायालय की अवमानना कारित करने का दोषी ठहराने के लिए कोई कारण निर्दिष्ट किए

बिना ही निर्णय उद्घोषित किया गया। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि चूँकि ये कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की है, अतः प्रमाण का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है, अर्थात् इस न्यायालय पर, यह दर्शाने के लिए कि उन्होंने न्यायालय की अवमानना की है और उनके कथन सत्य नहीं हैं।

5. वे यह प्रस्तुत करते हैं कि दंड की मात्रा निर्धारित करने हेतु यह तथ्य भी इस न्यायालय के विचाराधीन होना चाहिए कि उन्हें न्यायालय की अवमानना कारित करने का दोषी ठहराने वाला निर्णय प्रक्रिया संबंधी एवं अन्य दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि दंड की मात्रा के निर्धारण हेतु अभियुक्त केवल शमनकारी परिस्थितियों अथवा अन्य परिस्थितियों का ही उल्लेख करने के लिए बाध्य नहीं है, जिनके आधार पर दंड की मात्रा कम की जा सकती है, बल्कि वह यह भी प्रदर्शित कर सकता है कि दोषसिद्धि का निर्णय स्वयं ही त्रुटियुक्त है।

6. अपने पक्ष के समर्थन में, अवमानकर्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के ***सी. मुनियप्पन व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य***, (2010) 9 एससीसी 567; ***अंकुश मारुति शिंदे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य***, (2019) 15 एससीसी 470; ***मोदी टेलीफाइबर्स लिमिटेड व अन्य बनाम सुजीत कुमार चौधरी व अन्य***, (2005) 7 एससीसी 40 तथा ***नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम तुंकाय अलंकुस व अन्य***, (2013) 9 एससीसी 600 के निर्णयों पर निर्भरता व्यक्त की है।

7. हम यह भी नोट करना आवश्यक समझते हैं कि अपनी मौखिक प्रस्तुतियों के दौरान, अवमानकर्ता ने पुनः आपत्तिजनक एवं अपमानजनक टिप्पणियाँ कीं जिसमें उन्होंने यह कहा कि उन्हें भारतीय न्यायिक प्रणाली से किसी प्रकार का न्याय प्राप्त होने की अपेक्षा नहीं है और यह कहा कि *"अदालतों की मनमर्जी बढ़ती जा रही है और मैं कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर रहा"* और उन्होंने आगे यह भी कहा कि *"मनमर्जी का दूसरा अर्थ तानाशाही होता है"*।

8. वे यह प्रस्तुत करते हैं कि वे न तो दंड को कम करने की प्रार्थना करेंगे और न ही इस न्यायालय से न्याय की अपेक्षा रखते हैं। वास्तव में, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों एवं अन्य व्यक्तियों के उदाहरण उद्धृत करना प्रारंभ किया, जिन्होंने दंड की मात्रा के संबंध में यह रुख अपनाया था कि वे ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की उदारता स्वीकार नहीं करेंगे।

9. वे आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ तक दोनों अवमानना याचिकाओं में प्रत्यर्थी संख्या 1 का संबंध है, उन्हें उनकी क्षमा याचना स्वीकार कर मुक्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें यह अवसर नहीं मिला कि वे उनका प्रतिपरीक्षण कर अपनी निर्दोषता सिद्ध कर सकें।

10. दूसरी ओर, श्री प्रभाकर, माननीय *न्यायमित्र*, यह प्रस्तुत करते हैं कि अवमानकर्ता द्वारा की गई उपरोक्त प्रस्तुतियाँ दंड के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि उनका स्वरूप हमारे दिनांक 21.04.2026 के निर्णय को वापिस

मंगाने / पुनर्विलोकन की मांग जैसा है। वे यह भी कहते हैं कि वास्तव में इन प्रस्तुतियों से स्पष्ट होता है कि अवमानकर्ता को अपने कृत्यों के प्रति कोई पश्चाताप नहीं है, बल्कि वे आज न्यायालय के समक्ष दी गई अपनी प्रस्तुतियों में भी उन कृत्यों को और अधिक गंभीर बना रहे हैं।

11. वे यह प्रस्तुत करते हैं कि अवमानकर्ता ने अपने आचरण में किसी प्रकार का सुधार या पश्चाताप प्रदर्शित नहीं किया है तथा वास्तव में, दिनांक 14.05.2025 को इस न्यायालय की पूर्ववर्ती न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश में उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि वे किसी भी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाते हुए कोई अन्य वीडियो अपलोड न करें, हालांकि, अवमानकर्ता ने निर्लज्जता पूर्वक ऐसे वीडियो अपलोड करना जारी रखा। वे आगे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि इस संबंध में एक आख्या पूर्व में ही उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी और अवमानकर्ता द्वारा दायर उत्तर में भी इस तथ्य का खंडन नहीं किया गया कि उन्होंने ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं।

12. वे यह प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले की परिस्थितियों में केवल जुर्माना अधिरोपित करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि कारावास का दंड अधिरोपित किया जाना आवश्यक है, जिसका निर्णय इस न्यायालय के विवेक पर छोड़ते हैं। तथापि, वे यह सुझाव देते हैं कि यदि अवमानकर्ता को कारावास का दंड दिया जाता है, तो उनसे यह पूछा जाए कि क्या वे इसके विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करना चाहते हैं। यदि उनका उत्तर सकारात्मक हो, तो

न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत दंडादेश को 60 दिनों की अवधि के लिए निलंबित किया जाए, जो कि उक्त अपील दायर करने की परिसीमा अवधि है। इस प्रकार की कार्यवाही का समर्थन एवं सुझाव विद्वान अति.लो.अभि. तथा दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा नियुक्त विद्वान *न्यायमित्र(गण)* ने भी किया है।

13. हमने अवमानकर्ता के साथ-साथ विद्वान *न्यायमित्र(गण)* तथा विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा प्रस्तुत की गई द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों पर भी विचार किया है।

14. वर्तमान मामले में, जैसा कि हमारे दिनांक 21.04.2026 के निर्णय में पाया गया है, अवमानकर्ता ने अपने आचरण द्वारा न्यायालय को कलंकित किया है तथा न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम किया है। अवमानकर्ता ने इसके प्रति कोई पश्चाताप प्रदर्शित नहीं किया है। उन्होंने किसी प्रकार का सुधारात्मक मार्ग भी लक्षित नहीं किया। वास्तव में, उनका यह कथन है कि उन्होंने जो किया, वह न्यायिक प्रणाली में सुधार लाने के आशय से किया।

15. जैसा कि हमने इस आदेश में उपर्युक्त रूप से नोट किया है, अवमानकर्ता ने वास्तव में न्यायालय के समक्ष और अधिक आपत्तिजनक प्रस्तुतियाँ देकर अपनी अवमानना को और गंभीर बना दिया है। इससे स्पष्ट है कि वे न तो पश्चाताप कर रहे हैं और न ही किसी प्रकार की दया के पात्र हैं।

16. हम यह भी पाते हैं कि यदि अवमानकर्ता पर पर्याप्त दंड अधिरोपित नहीं किया जाता है, तो इससे उसे भविष्य में ऐसे ही कृत्यों को दोहराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वह इन्हें करने में और अधिक निर्भीक हो जाएगा।

17. जहाँ तक उनके द्वारा हमारे दिनांक 21.04.2026 के निर्णय पर की गई प्रस्तुतियों का संबंध है, हम उक्त निर्णय के पुनर्विलोकन पर विचार नहीं कर सकते और अवमानकर्ता को विधि के अनुसार उसे चुनौती देने का पूर्ण अधिकार एवं अवसर प्राप्त था। अतः हम अपने वर्तमान आदेश में उनकी सभी प्रस्तुतियों पर पुनर्विचार करना उचित नहीं समझते। उनके द्वारा उद्धृत किए गए निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते।

18. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि इन मामलों में अवमानकर्ता पर अधिकतम दंड अधिरोपित किया जाना आवश्यक है। अतः हम अवमानकर्ता श्री गुलशन पाहुजा को प्रत्येक मामले में छह माह के साधारण कारावास का दंड तथा ₹2000/- का जुर्माना अधिरोपित करते हैं। उक्त मामलों में दिया गया दंड समवर्ती रूप से चलेगा। यदि किसी एक अथवा दोनों मामलों में जुर्माना अदा करने में वे असफल रहते हैं, तो जिस मामले में वे यह चूक करेंगे, उसमें उन पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड अधिरोपित किया जाएगा।

19. चूँकि अवमानकर्ता ने यह कहा है कि वे हमारे दिनांक 21.04.2026 के निर्णय तथा आज पारित आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने

के इच्छुक हैं, अतः हम न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अवमानकर्ता को दिए गए दंड को आज से 60 दिनों की अवधि के लिए निलंबित करते हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले किसी भी आगामी आदेश के अधीन होगा। यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवमानकर्ता का दंड निलंबित करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर अवमानकर्ता को स्वेच्छा से तत्काल रूप से इस न्यायालय के महानिबंधक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

20. इन मामलों का निपटान उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटान उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

21. हम पुनः दोनों विद्वान *न्यायमित्र* तथा विद्वान अति.लो.अभि द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं।

22. इस आदेश की एक प्रति तथा आदेश की हिंदी अनूदित प्रति *दस्ती* रूप में श्री गुलशन पाहुजा को प्रदान की जाए।

23. इस आदेश की एक प्रति सूचना एवं अनुपालनार्थ विद्वान महानिबंधक को प्रेषित की जाए।

न्या. नवीन चावला,

न्या. रविंद्र डुडेजा,

16 मई, 2026/*एनएस/एएस*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*